राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 191

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 19 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

रोहित के शतक और कुलदीप की हैट्रिक से दूसरे वनडे में जीती टीम इंडिया

>> 14

सरोकार

'यूएस' को कलाम ने दिया था 'जल ग्राम' का आइडिया...

बांदा : जिस बुंदेलखंड में पानी को लेकर हाहाकार रहता है, वहीं गांव जखनी समस्त

संकटों को धता बताकर अचरज का विषय बन गया है। यह संभव हुआ उमाशंकर पांडेय के बूते, जिन्हें जल ग्राम का आइडिया किसी और ने नहीं वरन अग्निपुरुष डॉ. कलाम ने दिया था। (पेज-10)

जागरण विशेष

हिमालयी उथल-पुथल की पहेली सुलझाएगा 'मोडिस'

लखनऊ : अब बर्फ से ढके हिमालय में होने वाली मौसमी उथल-पुथल अबूझ पहेली

नहीं रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखना हो, बर्फ पिघलने की दर आंकनी हो या पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना हो..., 'मोडिस' से यह सब कुछ आसान होगा। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

स्कूली बच्चों को मिड डे मील ही नहीं, नाश्ता भी मिलेगा

नई दिल्ली : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब दोपहर के भोजन के साथ सुबह का नाश्ता भी मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बजट में प्रस्ताव के साथ-साथ इसे नई शिक्षा नीति के फाइनल ड्राफ्ट में भी प्रमुखता से रखा गया है। दूसरी तरफ, स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाने का काम शिक्षकों की जगह पूरी तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी की जा रही है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, ठिठुरन बढ़ी

नई दिल्ली : सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दो दिनों में रिकार्ड तोड़ सर्दी के बीच बुधवार को शीतलहर ने समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। अलबत्ता, कुछ राज्यों में हल्की धूप जरूरत निकली, मगर हवाओं के चलते लोगों को राहत नहीं मिली।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

नए सामाजिक सुरक्षा कोड से बहुरेंगे कर्मचारियों के दिन

नई दिल्ली : कर्मचारियों के दिन बहुरने वाले हैं। संशोधित सामाजिक सुरक्षा कोड में पांच वर्ष से कम अवधि के फिक्स टर्म रोजगार में भी ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किया गया है। कर्मियों के घर-दफ्तर के बीच दुर्घटना की स्थिति में नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

मुशर्रफ की मौत की सजा को चुनौती देगी पाकिस्तान सरकार

इस्लामाबाद : देशद्रोह के लिए मौत की सजा पाए पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के समर्थन में सेना के आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। मंगलवार को सैन्य तानाशाह मुशर्रफ को छह साल चले मुकदमे उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। मुशर्रफ इलाज के लिए अनुमति लेकर 2016 में विदेश गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे। इस समय वह दुबई में रह रहे हैं।

नागरिकता संशोधन कानून पर फिलहाल रोक नहीं

सीधी बात ▶ कानून की वैधानिकता को परखेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक मांगा जवाब

59 याचिकाएं दाखिल कर कानून को दी गई है चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि कोर्ट कानून की वैधानिकता परखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार का मन बनाते हुए कानून को चुनौती देने वाली कुल 59 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को 22 जनवरी तक अपना जवाब देना है। कोर्ट मामले पर 22 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा।

यह आदेश प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने जारी किए। कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश, सांसद असदुद्दीन ओवैसी और महुआ मोइत्रा शामिल हैं। बुधवार को मामले पर सुनवाई शुरू होते ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और बराबरी के मौलिक अधिकार का भी हनन करता है। उन्होंने कुछ दलीलें रखीं ही थीं कि कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर विचार का मन बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया। तभी कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अंतरिम रोक का विरोध करते हुए कहा कि कानून अधिसूचित होने के बाद कोर्ट इस तरह अंतरिम रोक नहीं लगा सकता। इस बारे में चार पूर्व फैसले हैं और वह उन्हें पेश कर सकते हैं। तभी एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि अभी कानून पर रोक लगाने की मांग की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कानून लागू नहीं हुआ है। कानून के तहत नियम आदि अभी तय नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि वे अभी सिर्फ याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रहे हैं। वे अभी कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। पीठ ने कहा कि कानून पर रोक की मांग पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को पक्ष रखा जा सकता है।

पिछले सप्ताह नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैरमुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

जयराम रमेश की याचिका में कहा गया है कि यह कानून 1985 के असम समझौते के खिलाफ भी है। उनका यह भी कहना है, कोर्ट घोषित करे कि नागरिकता संशोधन कानून अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। इस कानून को तैयार करने में संयुक्त संसदीय समिति की सात जनवरी, 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। कानून में संशोधन करके अवैध रूप से देश में घुसे लोगों (घुसपैठिये) की परिभाषा बदल दी गई है। यह कानून भेदभाव करता है क्योंकि इसमें मनमाने तरीके से सिर्फ तीन देशों के छह धर्मावलंबियों को शामिल किया गया है और विशेष तौर पर एक धर्म और भाग को छोड़ दिया गया है।

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू), पीस पार्टी, गैरसरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन अगेंस्ट हेट, एहतशाम हाशमी और सिंब्योसिस के लॉ स्टूडेंट, जन अधिकार पार्टी, असम में नेता विपक्ष देबब्रत और वकील एमएल शर्मा, केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदि ने याचिका की है।

हिंसक प्रदर्शनों के पीछे उग्रवादी व कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका पेज>>5

हिंसा के पीछे शामिल तत्वों पर सख्त हुई असम सरकार पेज>>5

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

'सीएए के उद्देश्य और तथ्यों का सरकार करें व्यापक प्रचार'

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सीएए के उद्देश्य और तथ्यों का व्यापक प्रचार करने के सुझाव पर विचार करे ताकि लोगों में फैला भ्रम दूर हो। दरअसल, सुनवाई के दौरान वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा, वह जामिया और सीलमपुर गए और पाया कि 95 फीसद प्रदर्शनकारियों को इस कानून के बारे में मालूम ही नहीं है। वे समझते हैं कि इस कानून से उनकी नागरिकता चली जाएगी। शरारती तत्व झूठी खबरें फैला रहे हैं। सरकार कानून के बारे में प्रचार करे ताकि भ्रम दूर हो। इन दलीलों पर मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि मांग विचार करने योग्य है। आप इस पर विचार करेंगे या फिर कोर्ट इस बारे में कोई आदेश दे। वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट को इस बारे में आदेश देने की जरूरत नहीं है। वह सरकार को इस बात से अवगत कराएंगे और सरकार ऐसा करेगी। कोर्ट की इजाजत लेकर उपाध्याय ने अपनी याचिका केके वेणुगोपाल को दे दी।

कानून के विरोध में पुणे, ठाणे और सोलापुर में भी प्रदर्शन

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध दिल्ली और असम के बाद अब महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी पहुंच गया है। बुधवार को पुणे में असम मूल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि ठाणे और सोलापुर में स्थानीय लोगों ने कानून के विरोध में मार्च निकाला। इसके अलावा मद्रास में भी प्रदर्शन किए जाने का समाचार है। (पेज-5)

अक्षय की फांसी पर फिर मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी अक्षय कुमार सिंह की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपनी मुहर लगा दी है। बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका पिछले वर्ष ही खारिज हो चुकी हैं। हालांकि इन दोषियों के पास अभी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका देने का विकल्प बचा हुआ है।

जस्टिस आर.भानुमति, अशोक भूषण व एएस बोपन्ना की पीठ ने बुधवार को अक्षय के वकील एपी सिंह की सारी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अक्षय को मृत्युदंड सुनाने के 5 मई 2017 के फैसले में कोई खामी नजर नहीं आती। न ही उन्हें पुनर्विचार याचिका में ऐसा कोई आधार दिखा है जिससे कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। कोर्ट ने कहा कि अक्षय ने अपनी पुनर्विचार याचिका में वही आधार दिए हैं जिनपर पहले ही कोर्ट विचार कर चुका है। ऐसे ही आधार तीन अन्य सहअभियुक्तों की ओर से भी दिए गए जिन पर विचार करने के बाद कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका में दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति की गंभीरता का मुद्दा उठाए जाने और प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी घटने की दलील तथा कलयुग में व्यक्ति को जिंदा लाश के समान बताते हुए मृत्युदंड देना बेकार कहे जाने की दलीलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

कोर्ट ने कहा, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने गंभीर मामले में इस तरह के तर्क दिए गए हैं। बहस के दौरान अक्षय के वकील ने तिहाड़ जेल के पूर्व विधि अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद लिखी गई किताब 'ब्लैक वारंट' का जिक्र किया और कहा कि उसमें विधि अधिकारी ने इस मामले में एक आरोपित रामसिंह की जेल में हत्या होने की आशंका जताई है। कोर्ट ने दलीलें खारिज करते हुए कहा कि किताब में कही गई बातें मात्र राय हैं। उसके साथ कोई भी सहयोगी साक्ष्य नहीं पेश किए गए। ऐसे में उसके आधार पर फैसले पर पुनर्विचार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर उस विधि अधिकारी को रामसिंह की मौत के बारे में कोई शंका थी तो उसे अदालत में आकर गवाही देनी चाहिए थी। या फिर वह इस बारे में कोर्ट में हलफनामा देता। शीर्ष अदालत ने मामले की जांच में खामी और पीड़िता के मृत्युपूर्व दिए बयानों पर उठाए गए सवालों को भी खारिज कर दिया। तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस सब बातों पर विस्तृत विचार करने के बाद 5 मई 2017 का फैसला सुनाया था।

दुष्कर्म केस की धीमी चाल से कोर्ट चिंतित पेज>>2

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड

- सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका खारिज, क्यूरेटिव और दया याचिका का विकल्प बाकी
- कोर्ट ने प्रदूषण से लोगों की जिंदगी घटने जैसी दलीलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
- जांच में खामी व पीड़िता के बयानों पर उठाए गए सवालों को भी नकारा

प्रतीकात्मक फोटो

...भगवान का भी सिर शर्म से झुका होगा

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह किसी भी तरह के रहम का हकदार नहीं है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनसे मानवता रोती है। निर्भया (पीड़िता का बदला हुआ नाम) पर हुआ अपराध भी वैसा ही था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसे देख कर भगवान का भी सिर शर्म से झुक गया होगा। उसके दो कारण होंगे पहला तो यह कि वे एक निर्दोष असहाय पीड़िता को बचा नहीं पाए और दूसरा इन पांच राक्षसों को उत्पन्न करने के कारण। उन्होंने कहा कि निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक इसे सजा सुनाई जा चुकी है। अब फैसले पर पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है।

तय समय में याचिका दाखिल करने की छूट : कोर्ट

पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अक्षय के वकील ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट से तीन सप्ताह का समय मांगा लेकिन तुषार मेहता ने मांग का विरोध करते हुए कहा कि कानून में इसके लिए सात दिन की अवधि तय है। कोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया सिर्फ इतना कहा कि कानून में तय समय के भीतर उसे याचिका दाखिल करने की छूट होगी। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को पैरामेडिकल की छात्रा से रात में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस दौरान छात्रा को गंभीर चोटें पहुंचाई गईं जिससे बाद में इलाज के दौरान 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में कुल छह अभियुक्त थे जिनमें से एक अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी और एक अन्य दोषी नाबालिग था जिसका मामला जुविनाइल जस्टिस बोर्ड में चला। बाकी के चार दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुनाई थी।

दोषियों से दया याचिका के बारे में पूछे जेल प्रशासन

नई दिल्ली : दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया कि चारों दोषियों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर उनकी तरफ से दायर होने वाली दया याचिका की स्थिति के बारे में पूछा जाए। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दोषियों को डेथ वारंट जारी किया जाए, क्योंकि अक्षय की अर्जी खारिज हो गई है। अरोड़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद इस पर विचार किया जा सकता है। अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।

जज ने बोला, कानून का भी है एक दायरा : सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने कहा, हम जहां भी जाते हैं तो यही सुनते हैं कि उनके (दोषियों) पास अभी कानूनी उपाय हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? इस पर जज ने कहा, आपने बेटी को खोया है, लेकिन उनके अधिकार भी हैं। हम आपको सुनने के लिए यहां मौजूद हैं, लेकिन कानून का भी दायरा है।

एनक्लैट का फरमान, सायरस मिस्त्री को फिर बनाया जाए टाटा संस का चेयरमैन

नई दिल्ली, प्रेट्र : टाटा समूह के साथ कानूनी लड़ाई में सायरस मिस्त्री को बड़ी जीत मिली है। बुधवार को एनक्लैट ने मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि बहाली फौरन नहीं होगी। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए टाटा ग्रुप को चार सप्ताह की मोहलत मिली है।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने अपने फैसले में नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली विभिन्न कंपनियों की होल्डिंग फर्म टाटा संस के चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को गैरकानूनी करार दिया है। इसके अलावा टाटा संस को पब्लिक फर्म से प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने के फैसले को भी रद कर दिया है।

सायरस मिस्त्री सपूरजी पलोनजी कारोबारी घराने से हैं। रतन टाटा के रिटायर होने के बाद साल 2012 में उन्हें टाटा संस की कमान सौंपी गई थी। वह इस कंपनी के छठे चेयरमैन बने थे। अक्टूबर, 2016 में उन्हें जबरन टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था और कंपनी के बोर्ड से भी बाहर कर दिया गया था।

देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप का संचालन करने वाली कंपनी टाटा संस में 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले मिस्त्री परिवार ने सायरस की बर्खास्तगी के फैसले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में चुनौती दी। तब से अब तक इस मामले में कई मोड़ आए और अंततः फैसला मिस्त्री के पक्ष में आया।

- कंपनी के चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति गैर-कानूनी करार
- टाटा संस को पब्लिक फर्म से प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने का फैसला भी हुआ रद
- एनक्लैट के फैसले के विरुद्ध याचिका के लिए टाटा संस के पास चार सप्ताह का वक्त

सायरस पी. मिस्त्री की फाइल फोटो। प्रेट्र

यह गुड गनवर्नेंस के सिद्धांतों और छोटे शेयरधारकों के हितों की जीत है।
- सायरस मिस्त्री

मिस्त्री की बहाली के आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
- टाटा संस

संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे रतन टाटा : एनक्लैट ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को टाटा संस के निदेशक मंडल (बोर्ड) के रोजमर्रा के काम से दूरी बनाए रखने का आदेश दिया है। सायरस मिस्त्री को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने में टाटा की बड़ी भूमिका रही थी।

कब क्या हुआ? पेज>>3

जयपुर बम धमाकों में चार दोषी करार, 71 की ली थी जान

मनीष गोधा, जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 11 साल पहले हुए शृंखलाबद्ध आठ बम धमाकों के मामले में बुधवार को विशेष अदालत ने पांच आरोपितों में से चार को दोषी करार दिया। ये चारों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। एक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। धमाकों के 10 आरोपित थे, जिनमें से दो सितंबर 2008 में दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे और तीन अब भी फरार हैं। चारों दोषियों की सजा पर गुरुवार को बहस होगी और संभवतः शुक्रवार को सजा का एलान किया जाएगा। धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हो गए थे।

गौरतलब है कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र में 13 मई, 2008 को शाम सवा सात से साढ़े सात बजे के बीच 15 मिनट में आठ बम धमाकों से गुलाबी नगरी दहल उठी थी। शहर के व्यस्त इलाकों व बाजारों में हुए इन धमाकों से गुलाबी नगर रक्तरंजित हो गई थी। शहर के माणक चौक और कोतवाली थाने में इस मामले में चार-चार एफआइआर दर्ज की गई थीं। इनकी सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई थी।

- एक आरोपित को कोर्ट ने किया बरी, सजा का एलान कल संभव
- 2008 में शृंखलाबद्ध आठ धमाकों में 185 लोग हुए थे घायल
- 10 आरोपित थे, दो बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए, तीन फरार

विशेष अदालत ने इन चारों को ठहराया दोषी

मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन।

मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, निवासी सरायमीर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। दिसंबर 2008 में गिरफ्तारी हुई।

आरोप- गुलाबी नगरी में पहला बम धमाका इसी ने किया था। माणक चौक खंदा क्षेत्र में बम रखा।

मुहम्मद सरवर आजमी।

मुहम्मद सरवर आजमी, निवासी- चांद पट्टी, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। जनवरी 2009 में गिरफ्तारी।

आरोप- चांदपोल हनुमान मंदिर के सामने बम रखा। धमाके में श्रद्धालुओं समेत कई लोगों की मौत

सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी।

सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी, निवासी- आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। अप्रैल 2009 में गिरफ्तारी।

आरोप- फूल वालों का खंदा क्षेत्र में बम रखा। इस धमाके में कई बेगुनाहों को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ा।

मुहम्मद सलमान।

मुहम्मद सलमान, निवासी- निजामाबाद, सरायमीर आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। दिसंबर 2010 में गिरफ्तारी।

सभी फाइल फोटो

आरोप- षड्यंत्र में शामिल, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास बम रखा।

ईमेल कर जिम्मेदारी लेने वाला दोषमुक्त

धमाकों के अगले दिन इंडियन मुजाहिदीन के नाम से ईमेल कर इन विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने वाले मुहम्मद शहबाज अहमद, निवासी- लखनऊ को विशेष कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। उसे सितंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन उसके खिलाफ सुबूत पेश नहीं कर सका।

11 वर्ष सात माह बाद आया सीरियल धमाकों के मामले में फैसला पेज>>7

नियंत्रण रेखा पर किसी भी समय खराब हो सकते हैं हालात : सेना प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर हालात कभी भी खराब हो सकते हैं और सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल रावत ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब अगस्त में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन काफी बढ़ गया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने पिछले महीने लोकसभा में बताया भी था कि अगस्त, 2019 से अक्टूबर, 2019 के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की 950 घटनाएं दर्ज की गईं।

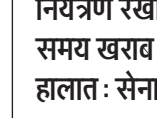

बिपिन रावत फाइल

सूत्रों का भी कहना है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीमें (बैट) लगातार नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने की कोशिशें कर रही हैं। पाक हर तीसरे-चौथे दिन बैट के अभियानों को अंजाम दे रहा है। बैट में सामान्यतः पाकिस्तानी सेना के विशेष बलों के कर्मी और आतंकी शामिल होते हैं। पूर्व में बैट द्वारा भारतीय सैनिकों के शवों को क्षतविक्षत करने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। बताते चलें कि 31 दिसंबर, 2016 को सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद से जनरल रावत ने घाटी में सीमा पार से आतंकवाद से निपटने में आक्रामक नीति अपनाने में अहम भूमिका निभाई है। वह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। इस बीच, सुरक्षा बलों के आकलन के मुताबिक, घाटी में हालात काफी हद तक नियंत्रण में आ चुके हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है ताकि हालात न बिगड़ें। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर की स्थिति पर बेहद बारीकी से नजर रखी जा रही है। सटीक आकलन के बाद ही हर कदम उठाया जा रहा है।

सरकार ने मानी वर्षों पुरानी मांग

आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी यह लाभ देने पर मंत्रालय करेगा विचार, अभी तक सिर्फ एससी-एसटी और दिव्यांगजनों को ही दिया जा रहा था आरक्षण

केंद्रीय विद्यालयों के दाखिले में ओबीसी का भी कोटा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को राहत देने वाली एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्रवेश में आरक्षण देने की उनकी वर्षों पुरानी मांग मान ली है। अब इन विद्यालयों के प्रवेश में ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मिलना शुरू हो जाएगा। इन विद्यालयों में अब तक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) और दिव्यांगजनों को ही प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को इसे लेकर अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले इस प्रस्ताव पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी अपनी सहमति दे चुका है। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालयों में अब सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीबों को छोड़कर एससी, एसटी और ओबीसी सभी को प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

प्रतीकात्मक फोटो

माना जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द ही सामान्य वर्ग के गरीबों को भी प्रवेश देने के मामले में आरक्षण देने पर विचार करेगा। बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीबों को मौजूदा मोदी सरकार ने ही दस फीसद आरक्षण देने का फैसला लिया था। फिलहाल इसका लाभ उन्हें उच्च शैक्षणिक संस्थानों सहित सरकारी नौकरियों में मिल रहा है।

एससी को 15 और एसटी को 7.5 फीसद आरक्षण

मौजूदा समय में तय नियमों के तहत केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों में एससी को 15 फीसद और एसटी को 7.5 फीसद आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को भी तीन फीसद आरक्षण का लाभ मिलता है। केंद्रीय विद्यालयों के प्रवेश में आरक्षण का यह लाभ पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान मिलता है, जबकि नवोदय विद्यालयों में छठीं कक्षा में प्रवेश के दौरान दिया जाता है।

ओबीसी आयोग ने उठाई थी मांग

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के प्रवेश में आरक्षण देने की यह मांग ओबीसी आयोग ने उठाई थी। इतना ही नहीं साथ ही दोनों ही विद्यालयों के प्रवेश में कानून के तहत तय 27 फीसद आरक्षण देने की सिफारिश की थी।